न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 31/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00143

अनवान्

1. श्री रूपलाल पिता नवला बलाई निवासी डिंगरक्या तहसील मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता भमरिया बलाई निवासी डिंगरक्या तहसील मावली।
2. श्रीमती सोसरबाई पत्नी भमरिया बलाई निवासी डिंगरक्या तहसील मावली।
3. श्रीमती मोवनी पुत्री भमरिया बलाई पत्नी मोहन मेघवाल निवासी भैसडाकलां।
4. श्रीमती केसर पुत्री भमरिया बलाई पत्नी भंवर मेघवाल निवासी सालोर तहसील नाथद्वारा।
5. श्रीमती शान्ता पुत्री भमरिया बलाई पत्नी भंवर मेघवाल निवासी पलानाकलां तहसील मावली।
6. श्रीमती सीता पुत्री भमरिया बलाई पत्नी मोहन मेघवाल निवासी माण्डुथल तहसील मावली।
7. श्रीमती कैलाशी पुत्री भमरिया बलाई पत्नी प्रकाश मेघवाल निवासी बन्दा, सिन्दू तहसील मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
9. पटवारी, पटवार हल्का महुडा तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.09.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा डिंगरक्या पटवार हल्का महुडा तहसील मावली की आराजी नम्बर 924/58, 963/58 किता 2 कुल रकबा 8 बीघा कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 से 7 तक के पिता/पति भमरिया पिता नवला बलाई जिनका देहावसान दिनांक 12.07.2020 को हो चुका है, के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज हैं।

2. यह कि मुझ प्रार्थी एवं वि[illegible] निम्न है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

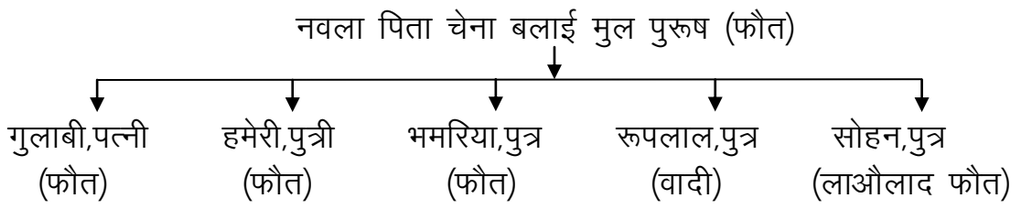

उपरोक्त सजरे में वर्णित अनुसार मुल पुरूष नवला पिता चेना बलाई के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण में मैं प्रार्थी (पुत्र) एवम् गुलाबी (पत्नी), हमेरी (पुत्री) एवम् विपक्षी संख्या 1 से 7 तक के पिता/पति भमरिया एवं सोहन (पुत्र), जिनमें गुलाबी, हमेरी, सोहन (ला–औलाद फौत) एवं भमरिया, जिनका देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय भमरिया पिता नवला बलाई के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 से 7 हैं।

3. यह कि तत्कालीन समय विगत लगभग 45 वर्षों से अर्थात् प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मुल पुरूष नवला पिता चेना बलाई के जीवनकाल में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 तक के पिता/पति परिवार में शामिल–शरीक निवासरत थे तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि तत्कालीन समय से ही प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मुल पुरूष के जीवनकाल से संयुक्त कब्जे उपभोग में चली आ रही थी, जो वर्ष 1976 से पूर्व संयुक्त कब्जे काश्त में थी, जिस पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पिता/पति द्वारा काफी मेहनत कर उक्त कृषि भूमि को उपजाऊ बना प्रतिवर्ष फसल बुवाई की गई। चूंकि तत्कालीन समय में उक्त कृषि भूमि लम्बे समय से उपयोग उपभोग में चली आ रही थी तथा प्रार्थी के पिता के काफी वृद्वावस्था में होने व विपक्षी संख्या 1 से 7 तक के पिता/पति परिवार में बडा हो कर्ता खानदान होने से उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार से विपक्षी संख्या 1 से 7 तक के पिता/पति के नाम वर्ष 1976 में आंवटित हो कुछ वर्षों बाद स्वर्गीय भमरिया पिता नवला बलाई के खातेदारी में दर्ज हुई।

4. यह कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मुल पुरूष नवला पिता चेना बलाई द्वारा उनके जीवनकाल में ही विपक्षी संख्या 1 से 7 तक के पिता/पति के नाम उक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि का भाई पांती बंटवाडा कर लिया था, स्वयं की काफी वृद्वावस्था होने एवं किसी प्रकार का तनाजा विवाद उत्पन्न न हो जिस बाबत् उक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि का भाई पांती बंटवाडा कर उक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा पश्चिमी दिशा की तरफ का विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति के हक हिस्से में रखा गया तथा शेष 1/2 हिस्सा पूर्वी दिशा की तरफ का मुझ प्रार्थी के हक हिस्से में रखा गया और मौके पर 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार काबिज करा दिया, तत्कालीन समय में किए गए पांती बंटवाडे में प्राप्त हिस्सा कृषि पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के स्वर्गीय पिता/पति निर्विवाद काबिज चले आ रहे थे तथा विपक्षीगण के पिता/पति की मृत्यु उपरान्त उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

विधिक वारिसान काबिज चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा जिसके पडौस पूर्व–गाडरियों की कृषि भूमि। पश्चिम–स्वर्गीय भमरिया के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि। उत्तर–मोहन पिता कालु जी कृषि भूमि। दक्षिण–सरकारी जमीन। उपरोक्त चारो पडौसों के मध्य स्थित कृषि भूमि जो 1/2 हक हिस्से की है, जो मुझ प्रार्थी के लम्बे समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है लेकिन चूंकि तत्कालीन समय में ही उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का आंवटन एवं खातेदारी केवलमात्र स्वर्गीय भमरिया जो परिवार में बडा था, अकेले के नाम का रेकार्ड में अंकन हो जाने से उक्त कृषि भूमि का 1/2 आधा हिस्सा प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से अंकन नहीं हो सकी जबकि उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा पिछले कई वर्षो पूर्व से अर्थात् 40–45 वर्षों से मुझ प्रार्थी के पिता के जीवनकाल से आज तक मुझ प्रार्थी के स्वामित्व अधिकार आधिपत्य व कब्जे उपभोग में चला आ रहा है जो वर्तमान समय तक मुझ प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे उपभोग में होकर मैं वादी पिछले कई वर्षों से निरन्तर निर्विवाद काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हूं तथा प्रतिवर्ष फसल बुवाई कर पैदावार लेता आ रहा हूं जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति की भी पूर्ण सहमति रही होकर विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति द्वारा भी उक्त संबंध में कभी कोई उजर ऐतराज नहीं किया गया। वर्तमान समय में भी मुझ प्रार्थी ने अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर ज्वार की फसल बो रखी हैं।

5. यह कि उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में हो उक्त हिस्सा कृषि भूमि पर मुझ प्रार्थी का पिछले कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा मैं प्रार्थी उक्त हिस्सा कृषि भूमि पर काबिज हो प्रतिवर्ष फसल बुवाई कर काश्त कर रहा हुं। मुझ प्रार्थी द्वारा अपने हक व हिस्से की उक्त हिस्सा कृषि भूमि पर काफी खर्चा कर उक्त हिस्सा कृषि भूमि को आवादान किया है, मुझ प्रार्थी की आजीविका इसी हिस्सा कृषि भूमि पर ही निर्भर है, शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर विपक्षीगण काबिज है, मुझ प्रार्थी ने उक्त हिस्सा कृषि भूमि में कई वृक्ष उगाए है तथा थौर की बाड है व उक्त हिस्सा कृषि भूमि में खर्चा कर नया कुआ खुदाया जिसमें होने वाला खर्च भी मुझ प्रार्थी ने 1/2 हिस्सा व्यय वहन किया तथा उक्त कुंए से हिस्से वारे अनुसार अपनी उक्त हिस्सा कृषि भूमि की पिलाई करता हुआ आ रहा हुं साथ ही उक्त कुंए पर लिए गए विद्युत कनेक्शन में भी मुझ वादी द्वारा आधा खर्च वहन किया हैं। अतः मैं प्रार्थी पुराने कब्जे के आधार पर भी उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा जो मेरे हिस्से व कब्जे उपभोग में है, जिसके पडौस प्रार्थना पत्र में अंकित किए है, उक्त पडौसों के बीच की कृषि भूमि पर पूर्वजों के समय

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

से वर्तमान समय तक निरन्तर निर्विवाद काबिज चला आ रहा हूं। वर्तमान में मुझ प्रार्थी ने अपने हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि पर फसल बुवाई कर रखी हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है, सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा जो मुझ प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे उपभोग में है चूंकि वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से विपक्षी संख्या 1 से 7 के मन में लोभ व लालच की भावना उत्पन्न हो गई है और विपक्षीगण लोभ व लालच की भावना से वशीभूत होकर नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से एवं विपक्षीगण रेकार्ड में उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अकेले अपने स्वर्गीय पिता के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए व लोभ व लालचवश मुझ प्रार्थी से रंजिश रखने लगे है, मुझ प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण एवं विपक्षीगण के स्वर्गीय पिता को राजस्व अभिलेख में भी दुरस्ती किए जाने एवं 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कराने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण मुगालता देते रहे एवं विपक्षीगण बद्नियति रखते हुए तथा मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि से मुझ प्रार्थी को बेदखल कर बलपूर्वक हडपने की चेष्ठा रखते है तथा मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि के शांतिपूर्वक कब्जे उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लगे है एवं विपक्षीगण लोभ व लालच की भावना से वशीभूत हो भूमि दलालों से मिलीभगत कर मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि से मुझ प्रार्थी को जबरन बेदखल कर उक्त हिस्सा कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर मुझ प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो उक्त 1/2 हिस्सा कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया धमकीयां दे रहे है, केवलमात्र नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर विपक्षीगण येनकेन प्रकारेण मुझ प्रार्थी को उक्त हिस्सा कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि विपक्षीगण का ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 से 7 मुझ प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित पडौसान के मध्य स्थित हिस्सा कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे व मुझ प्रार्थी को उक्त हिस्सा कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराना नितान्त आवश्यक हो गया हैं।

7. यह कि प्रार्थना पत्र कारण विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा मुझ प्रार्थी को अपनी उक्त हिस्सा कृषि भूमि से बेदखल किए जाने की धमकी दिए जाने पर मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि की आवंटन की नकल प्राप्ति की [illegible] हिस्सा मुझ प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

कराने हेतु कहा व दिनांक 25.07.2020 को विपक्षीगण द्वारा मुझ प्रार्थी को ऐलानिया धमकी देकर प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि से बेदखल कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी व तथ्यों की जानकारी होने से उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करायी जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र में वर्णित पडौसान के मध्य स्थित हो मुझ प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे उपभोग में है, उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा पिछले कई वर्षो से निरन्तर निर्विवाद मुझ प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, विपक्षीगण मुझ प्रार्थी को उक्त हिस्सा कृषि भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे, न जबरन कब्जा करे, मुझ प्रार्थी को उक्त हिस्सा कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, मुझ प्रार्थी को उक्त हिस्सा कृषि भूमि मय आ.चा. (कुआ) का हिस्से वार अनुसार शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे ना अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
9. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के पिता/पति भमरिया के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। वर्तमान में भमरिया का निधन हो चुका हैं। प्रार्थी उक्त भूमि का वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पृथक किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पति है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता द्वारा 1/2 हिस्से का वर्षों से उपयोग उपभोग करना बताया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के पिता/पति के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 का भाई हैं। दस्तावेज के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति के नाम आंवटन से दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता अथवा विपक्षीगण के पिता/पति दोनो को ही आवंटन हुई हो। इस प्रकार विपक्षीगण के पिता/पति के नाम वादग्रस्त भूमि लगभग 45 वर्षों से दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा 45 वर्ष पश्चात वाद प्रस्तुत करने का भी कोई ठोस कारण अंकित नही किया जो माने जाने योग्य हो। इस कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के पिता/पति के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। वर्तमान में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के पिता/पति के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षीगण को अपनी भूमि के विकास, ऋण आदि में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किया जाता हैं।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा डिंगरक्या पटवार हल्का महुडी तहसील व हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

2072–75 के खाता संख्या 124 पर दर्ज आराजी नम्बर 924/58, 963/58 किता 2 कुल रकबा 8 बीघा भूमि विपक्षीगण के पिता/पति भमरिया पिता नवला बलाई के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वर्तमान में भमरिया पिता नवला बलाई का निधन हो चुका हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विपक्षीगण के पिता/पति के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के पिता/पति भमरिया पिता नवला के नाम आंवटन हुई थी चूंकि भमरिया पिता नवला परिवार में सबसे बडा पुत्र था जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मुल पुरूष नवला पिता चेना बलाई के जीवनकाल में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति परिवार में शामिल–शरीक निवासरत थे एवं तत्कालीन समय से ही प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मुल पुरूष के जीवनकाल से संयुक्त कब्जे उपभोग में चली आ रही हैं। प्रार्थी के इस कथन से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि जब वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति को आंवटन हुई थी तब प्रार्थी के पिता व विपक्षी संख्या 1 से 7 के दादा नवला पिता चेना बलाई जीवित थे यदि आंवटन परिवार के सबसे बडे सदस्य को ही होती तो प्रार्थी के पिता व विपक्षी संख्या 1 से 7 के दादा नवला के नाम पर आंवटन होती। अतः प्रार्थी का यह कथन माने जाने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति को कब आंवटन हुई, ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन की दिनांक प्रस्तुत की तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि आंवटन के समय विपक्षी संख्या 1 से 7 के पिता/पति के साथ प्रार्थी का नाम भी दर्ज था।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होना बताकर घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थी द्वारा लगभग 45 वर्ष बाद दावा पेश करने से स्पष्टयता यह जाहिर होता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 7 के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा विपक्षीगण को अपनी भूमि का विकास ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण विरासत के आधार पर अपना नाम दर्ज नहीं करा पायेगें। इस प्रकार प्रार्थी के कथनानुसार 45 वर्षो से क्रमशः चले आ रहे खातेदारो के विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested